

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर
(जोधपुर ग्रामीण)

प्रीठासीन अधिकारी :- रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 16/2024

जी.सी.एम.एस नम्बर :- 2024/24



विप्रार्थी

ग्राम पुनावत नगर, श्रीकरणसिंहनगर

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार चामू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की
धारा 131,132,136 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957
के नियम 58,59,60,66 एवं 86

::आदेशः

दिनांक:- 10/6/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। तहसीलदार चामू द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/73 दिनांक 24.01.2024 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 भूराजस्व अधिनियम सपठित धारा 58,59,60,66,86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 इस आशय का प्रस्तुत किया। तहसीलदार चामू के उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार फसल खरीफ दौराने गिरदावरी ग्राम पुनावतनगर एवं श्री करणसिंहनगर पटवार मण्डल भालू अनोपगढ तहसील सेखाला में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो भी मौका पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड तथा जमाबन्दी में अंकन नहीं है। तहसीलदार द्वारा रास्ता/बारहमासी मौजा पुनावतनगर के खसरा नम्बर 157, 158, 175, 176/1, 178/6, 207, 211/1, 212 एवं मौजा श्रीकरणसिंहनगर के खसरा नम्बर 206, 226, 233, 235, 236 में चल रहे आवगमन के रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज करने की अनुशंघा की गई थी।

हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप 6) के परिपत्र क्रमांक प3 (2) राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे बारहमासी रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा अब पब्लिक इस रास्ते का आवगमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता काफी लम्बे रास्ते को जोडता है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त रास्ते में अंकित खसरों के सम्बन्ध मे सार्वजनिक सूचना का नोटिस ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर वास्ते आपत्ति हेतु चस्पा करवाया गया। इसके पश्चात् उक्त खसरों के खातेदारों को नोटिस जारी किये गये जो हल्का पटवारी द्वारा तामिल करवाये गये। रास्ते के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की आपत्ति न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत नही हुई। इसके अतिरिक्त मौजा पुनावतनगर के खसरा नम्बर 175, 176/1, 178/6, 207, 211/1, 212 एवं मौजा करणसिंहनगर के खसरा नम्बर 206, 226, 233 मे ग्राम पंचायत स्वयं बतौर खातेदार दर्ज है।

उक्त बाद गौर तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मोके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीन नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीन का आदेश देना राज्यहीत में एवं न्यायोचित प्रतीत होता है साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै.मु.रास्ता किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार का स्वीकार कर बारहमासी मौजा मौजा पुनावतनगर के खसरा नम्बर 157, 158, 175, 176/1, 178/6, 207, 211/1, 212 एवं मौजा श्रीकरणसिंहनगर के खसरा नम्बर 206, 226, 233, 236 में अवस्थित खसरों का प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शों में वर्णित लाल मार्क अनुसार तरमीन का आदेश दिया जाता है, उक्त प्रस्तावित भूमि कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी, किन्तु भूमि निजी खाते में होने की सूरत में पूर्ववत निजी खाते में रहेगी तथा नक्शों में रास्ते की भूमि का लाल स्याही से अंकन किया जावे उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण प्रक्रिया जरिये संपादित की जावे। प्रस्तावों के संलग्न तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्तावित नक्शा/मुकदमा फर्द इस आदेश के अभिन्न अंग रहेगें। निर्णय आज दिनांक 10/6/24 को सुनाया गया है। तहसीलदार को प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल



प्रीठासीन अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
बालेसर